

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 07.03.2026

Certified that the BANSAL PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at OPP. MEDICAL COLLEGE, GANESH NAGAR, KOTA (address) comprised of 0 basement(s) and GROUND + 3 (upper floors) owned/ occupied by BANSAL PUBLIC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 06.03.2026 (date of inspection) in the presence of SAVITA TRIPATHI <sup>C. PRINCIPAL</sup> (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII ( X/ XII) With effect from 07.03.2026 for a period of TWO year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. ALL THE FIRE FIGHTING EQUIPMENT SHOULD BE KEPT IN PROPER CONDITIONS
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 07.03.2026 (date of issue) at KOTA (R.A.T.) (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: (राकेश व्यास)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा

Name

RAKESH VYAS

Designation

Chief fire officer

Name &amp; Address of Department/ Office:

Nagar Nigam Kota

To

BANSAL PUBLIC SCHOOL  
GANESH NAGAR, KOTA  
(Name & Address of the Institution)

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to  
.....  
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Singh  
Principal  
BANSAL PUBLIC SCHOOL  
Ganesh Nagar, KOTA (Raj.)

BANSAL PUBLIC SCHOOL EDUCATIONAL SOCIETY

H. B. Singh  
SECRETARY

# नगर निगम, कोटा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA/FIRENOC/2025-26/66173  
जारी दिनांक: 07-MAR-2026 वैधता दिनांक: 06-MAR-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SAVITA TRIPATHI  
आवेदक का पता: BANSAL PUBLIC SCHOOL, OPP. MEDICAL COLLEGE,  
GANESH NAGAR, KOTA .

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत


आपके भवन BANSAL PUBLIC SCHOOL, 0, OPP. MEDICAL COLLEGE, GANESH NAGAR, KOTA, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-


1. उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त भवन/परिसर में बैसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित नगर निगम कोटा/कोटा विकास प्राधिकरण से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बैसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधियां संचालित की जायेंगी, लाईब्रेरी/नेस/कम्प्यूटर लेब/कैफे/अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेंगी।
3. उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृति केईडीएल या संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जायेगा।
5. भवन/परिसर के संचालक/मालिक द्वारा 24 घंटे फायर फाईटर तैनात करने होंगे तथा स्वयं के स्तर पर वर्ष में तीन बार फायर मॉकड्रिल आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
7. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है।
8. भवन/परिसर में आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस, एंबुलेंस के दूरभाष नंबर साईन बोर्ड पर अंकित कर लगवाने होंगे।
9. भवन/परिसर का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यालय अवस्था में रखना होगा। अग्नि दुर्घटना होने पर संचालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन/परिसर तक पहुंच सके इसके लिए अवरोध रहित पर्याप्त खुला स्थान रखना होगा तथा भवन के आवागमन हेतु एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार होने पर आपातकालीन निकास द्वार/आपातकालीन निकास होना अनिवार्य है।
10. भूमि व भवन रहवास संबंधित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. संचालक/मालिक को उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना होगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।



Signed by: Rakesh Vyas  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: KOTA, Rajasthan  
Date: 07/03/2026 17:27:59

  
Principal

BANSAL PUBLIC SCHOOL  
Ganesh Nagar, KOTA (Raj.)

  
अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा  
SECRETARY